प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश पुत्र श्री रामदास, निवासी जनपद-लखनऊ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-38027/प्रो0अनु0(2)-280/2024 (बैठक दिनांक 10.12.2024), दिनांक 12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश पुत्र श्री रामदास, ग्राम-एच/ओ घटिंगरा, थाना-मड़ियांव, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दिनांक 25.11.2006 को शनी उर्फ लवकुश आयु लगभग 11 वर्ष, सर्वेश उर्फ महेश पुत्र स्व0 पुत्ती लाल आयु लगभग 08 वर्ष हरीश उर्फ लाला पुत्र स्व0 रामकुमार आयु लगभग 07 वर्ष नामक तीन बच्चे बकरियां चराने गये थे, तभी बकरियों के लालच में अभियुक्त ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तीनों बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी एवं लाश झन्ना मन्दिर के पास जंगल में फेंक दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-520/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-10 लखनऊ के आदेश दिनांक 16.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 09.11.2024 तक 17 वर्ष 11 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 05 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 36 वर्ष, 06 माह 16 दिन (जेल रिपोर्ट दिनांक-09.11.2024 के अनुसार) है।

3- पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी अपराधी मानसिकता का व्यक्ति होने पर भविष्य में कभी भी अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है। (3) बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। (4) बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है। (5) बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार बदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत सी०आर0पी0सी0 की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र रामदास को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश (बन्दी सं0-396/2023) पुत्र श्री रामदास, निवासी जनपद-लखनऊ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-834/2025/2227(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।